



2026:AHC:170211

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 25920/2026

अनिल सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

अपर आयुक्त (प्रशासन) एवं 10 अन्य

.....प्रत्युत्तरदाता(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : बीरेन्द्र प्रताप सिंह, इन्द्र कुमार सिंह

प्रत्युत्तरदाता(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., कृष्ण कांत सिंह, प्रवीण कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 37

माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रत्युत्तरदाता संख्या 5 से 7 के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार सिंह, राज्य-प्रत्युत्तरदातागण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री इन्द्रमणि कुशवाहा एवं भूमि प्रबंध समिति के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण कांत सिंह को सुना।

2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित अनुतोष के लिए योजित की गई है:-

"उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत योजित पुनरीक्षण संख्या 365 वर्ष 2026, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या सी202618000000365 (अनिल सिंह बनाम विमल कुमार सिंह एवं अन्य) को निरस्त करने वाले अपर आयुक्त (प्रशासन), अलीगढ़ मंडल, अलीगढ़ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 09.03.2026 को उत्प्रेषण रिट जारी करके अपास्त किया जाए तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 128 के अंतर्गत योजित वाद संख्या 4 वर्ष 2023, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या डी202318210000004 (अनिल सिंह बनाम कमल प्रताप सिंह एवं अन्य) में अपर जिला अधिकारी (प्रशासन), एटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2025 को निरस्त किया जाए।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि निजी प्रत्युत्तरदाता के पक्ष में किया गया आबंटन अवैध था, तदनुसार, याचिकाकर्ता की पहल पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 128 के अंतर्गत विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, जिसका निर्णय अवैध और मनमाने ढंग से किया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अपर कलेक्टर ने पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही को परिसीमा के बाहर (कालबाधित) होने के आधार पर निरस्त कर दिया है और याचिकाकर्ता की ओर से योजित पुनरीक्षण को भी पुनरीक्षण में स्थापित किए गए प्रकरण पर विचार किए बिना निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि कृषि उद्देश्य के लिए आबंटन करने हेतु उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम (उ.प्र.ज़ेड.ए. एवं एल.आर. एक्ट) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में निजी प्रत्युत्तरदातागण के आबंटन को बनाए नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि निजी प्रत्युत्तरदातागण के पक्ष में किए गए आबंटन का कोई प्रलेख उपलब्ध नहीं है, अतः निजी प्रत्युत्तरदातागण के पक्ष में किए गए आबंटन को, यदि कोई हो, तो निरस्त किया जाना चाहिए।

4. दूसरी ओर, प्रत्युत्तरदाता संख्या 5 से 7 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्ष 1994 में निजी प्रत्युत्तरदाता के पक्ष में उचित आबंटन किया गया था जिसे विधि के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गई थी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि निरस्तीकरण की कार्यवाही वर्ष 2023 में प्रारंभ की गई है, जो परिसीमा के बाहर है, ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर ने आवेदन को कालबाधित होने के आधार पर अस्वीकार कर दिया है और पुनरीक्षण में आदेश को सही रूप से यथावत रखा गया है। उन्होंने आगे अपर कलेक्टर द्वारा दर्ज किए गए इस निष्कर्ष को प्रस्तुत किया कि आबंटन को विधि के अनुसार स्वीकृति दी गई थी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता के रूप में याचिकाकर्ता द्वारा योजित रिट याचिका को निरस्त किया जाना चाहिए।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और पत्रावली का परिशीलन किया है।

6. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 128 के अंतर्गत कृषि आबंटन के निरस्तीकरण के लिए प्रारंभ की गई कार्यवाही

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

को अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 29.03.2025 के माध्यम से अस्वीकार कर दिया था और पुनरीक्षण में आदेश को दिनांक 09.03.2026 के आदेश द्वारा यथावत् रखा गया है।

7. पत्रावली से यह प्रदर्शित होता है कि आबंटन दिनांक 11.05.1994 को किया गया था और उसे उप-जिला अधिकारी द्वारा उ.प्र.ज़ेड.ए. एवं एल.आर. एक्ट और उसके अधीन बनाए गए नियमावली के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृति दी गई थी। पत्रावली से यह भी प्रदर्शित होता है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 128 के अंतर्गत निरस्तीकरण की कार्यवाही वर्ष 2023 में प्रारंभ की गई है।

8. उ.प्र.ज़ेड.ए. एवं एल.आर. एक्ट की धारा 198(6) और वर्तमान में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 128(1-क) में समाविष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, बहुत पहले किए गए आबंटन के निरस्तीकरण के लिए अत्यधिक विलंब से प्रारंभ की गई कालबाधित निरस्तीकरण की कार्यवाही पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है।

9. इस न्यायालय ने **2018 (140) आरडी 1** में प्रकाशित **ऋषि पाल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** के प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि बहुत पहले किए गए आबंटन के निरस्तीकरण के लिए परिसीमा के बाहर संचालित कार्यवाही स्वीकार्य नहीं है। **ऋषि पाल (उपरोक्त)** के प्रकरण में दिए गए निर्णय का सुसंगत भाग परिशीलन के लिए आवश्यक होगा, जो निम्नलिखित है:-

"7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात, मेरा यह मत है कि आदेश दिनांक 01.06.2011 और 23.03.2012 बनाए रखने योग्य नहीं हैं और उन्हें अपास्त किया जाना निश्चित है।

8. पट्टे वर्ष 1992 में निष्पादित किए गए थे। उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 195 की उपधारा (6) के अंतर्गत जो शिकायत वर्ष 2003-04 में दाखिल की गई थी, वह लगभग छह वर्ष की अवधि से परिसीमा के बाहर थी।

9. इसके अतिरिक्त, मैं यह अभिनिर्धारित करता हूँ कि चूंकि परिसीमा का प्रश्न प्रकरण की मूल जड़ से जुड़ा है, भले ही नीचे के न्यायालयों के समक्ष इस पर तर्क न किया गया हो, इसे

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

निश्चित रूप से यहाँ इस न्यायालय में उठाया जा सकता है। भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 3 भी सुसंगत होगी, जिसे यहाँ नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

"धारा 3.- परिसीमा का निर्बंधन - (1) धारा 4 से 24 (सम्मिलित) में समाविष्ट प्रावधानों के अधीन रहते हुए, निर्धारित अवधि के पश्चात संस्थित प्रत्येक वाद, योजित अपील और किया गया आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, भले ही प्रतिवाद (बचाव) के रूप में परिसीमा को आधार न बनाया गया हो।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए,-

(क) एक वाद संस्थित किया जाता है,-

(i) एक सामान्य मामले में, जब वाद-पत्र उचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है;

(ii) अकिंचन (निर्धन व्यक्ति) के मामले में, जब एक अकिंचन के रूप में वाद योजित करने की अनुमति मांगने का उसका आवेदन किया जाता है; और

(iii) ऐसी कंपनी के विरुद्ध दावे के मामले में जिसका न्यायालय द्वारा परिसमापन (समापन) किया जा रहा हो, जब दावेदार पहली बार आधिकारिक परिसमापक (ऑफिशियल लिक्विडेटर) को अपना दावा भेजता है;

(ख) मुजरा (सेट-ऑफ) या प्रति-दावे (काउंटर-क्लेम) के माध्यम से किए गए किसी भी दावे को एक पृथक वाद माना जाएगा और यह संस्थित किया गया समझा जाएगा,-

(i) मुजरा के मामले में, उसी तिथि को जिस तिथि को वह वाद योजित था जिसमें मुजरा का दावा किया गया है;

(ii) प्रति-दावे के मामले में, उस तिथि को जिस तिथि को न्यायालय में प्रति-दावा किया गया है;

(ग) उच्च न्यायालय में प्रस्ताव की सूचना (नोटिस ऑफ मोशन) द्वारा आवेदन तब किया गया माना जाता है जब आवेदन उस न्यायालय के उचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. इसलिए परिसीमा के प्रश्न पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाना निश्चित था, भले ही प्रतिवादी/विपक्षी पक्षकार ने इसे न उठाया हो।

11. इसके अतिरिक्त, हरदास द्वारा योजित आवेदन को अभियोजन के अभाव में निरस्त किए जाने के पश्चात केवल वह स्वयं ही पुनर्स्थापन के लिए आवेदन योजित कर सकता था। राज्य एक ऐसा पक्षकार था जिसके कृत्यों का न्यायनिर्णयन हरदास द्वारा प्रस्तुत शिकायत में किया जा रहा था। इसलिए, वह हरदास के पुनर्स्थापन आवेदन का समर्थन नहीं कर सकता था।

12. अतः, यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है। आदेश दिनांक 01.06.2011 और 23.03.2012 अपास्त किए जाते हैं।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह अनुतोष केवल उन्हीं याचिकाकर्तागण तक सीमित रहेगा जिन्होंने वर्तमान रिट याचिका योजित की थी।"

10. प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा **ऋषि पाल (उपरोक्त)** के प्रकरण में प्रतिपादित विधि के विधिक अनुपात को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित आदेशों के विरुद्ध किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

11. यह रिट याचिका **निरस्त** की जाती है।

(न्यायमूर्ति श्री चन्द्र कुमार राय)

13 अगस्त, 2026

रमीज़